ग्राम पंचायत बलडूहक, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बलडूहक, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री परषोतम चन्द	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री कमलजीत	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री सुनील कुमार	01.04.14 से 06.04.15
2	श्री सुरजीत कुमार	06.04.15 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बलडूहक, विकास खण्ड नादौन के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-
2	4.2	13वें वित्त आयोग से अनियमित भुगतान	0.05
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.12
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	24.91
5	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.92
6	8	सीमेंट रजिस्टर का रख रखाव न करना	-
7	9	मनरेगा को दी गई अग्रिम राशि का वापिस न करना	1.00
8	10	व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे	3.58

9	11	अधिक/अनियमित भुगतान करने बारे	0.05

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बलडूहक, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10.01.18 से 17.01.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	12/2014
2015-16	03/2016	01/2016
2016-17	03/2017	11/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बलडूहक, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31 दिनांक 17.01.18 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 196883 (KCCB) दिनांक 23.01.18 के माध्यम से उक्त अंकेक्षण शुल्क को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत बलडूहक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत बलडूहक, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	79267	55796	135063	45064	89999
2015-16	89999	28056	118055	22663	95392

2016-17	95392	42963	138355	21767	116588

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत बलडूहक, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	234802	1237701	1472503	1073389	399114
2015-16	399114	1090647	1489761	594944	894817
2016-17	894817	3617230	4512047	2020875	2491172

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹116588

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2491172

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में
दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹2607760

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2627329.81

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (स्व-स्त्रौत) : ₹61

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (13th FC) : ₹12

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB -20694	116527
13th & 14th FC, PNB -962612	1427468
GEN-B, SBI – 02713	1083334.81
MNREGA, SBI -25137	0
कुल राशि	**2627329.81**

Bank Reconciliation Statement

Particulars	Debit	Credit
Balance as per Cash Book as on 31.03.17	2607760	-
Rs. 5000/- paid to Sunil Kumar on 09.10.14 vide Cheque No. 411192 but not taken in Cash Book	-	5000
Amount credited in Bank but not taken in Cash Book	24643	-
1. On 05.03.15 Rs. 12555/-		
2. On 05.03.15 (Interest) Rs. 1184/-		
3. On 13.03.15 Rs. 4514/-		
4. On 24.03.15 Rs. 6390/-		
Cash in Hand	-	73

Balance as per Pass Book	-	**2627330**
Total	**2632403**	**2632403**

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था । अतः नियमों के अनुसार पंचायत की रोकड़ वहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान करने के साथ-साथ बैंक समाधान विवरणी में दर्शाई आय व व्यय की राशि का इन्द्राज रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें ।

4.2 ₹5000 का संभावित अनियमित भुगतान :-

जांच में पाया कि 13वें वित्त आयोग से दिनांक 09.10.14 को चैक संख्या 411192 द्वारा ₹5000 का भुगतान सुनील कुमार को किया गया था लेकिन इस भुगतान का इन्द्राज रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं न ही उक्त भुगतान से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किए गये, जिससे उक्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है । अतः उक्त भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुए संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा ₹5000 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.12 लाख वसूली हेतु शेष:-

1. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹2900 की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है । जांच में पाया कि माह 11/2016 से 02/2017 में निम्न विवरणानुसार ₹2900 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	विवाह की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	वसूली योग्य पंजीकरण राशि
28 (2016)	श्री जीवन सिंह	10.10.16	05.11.16	200/-
29	श्री नरेश कुमार	10.10.16	09.11.16	200/-
30	श्री रमेश चंद	19.10.16	15.11.16	200/-
31	श्री अखिल	01.10.16	24.11.16	400/-
32	श्री अश्वनी	03.11.16	24.11.16	200/-
33	श्री प्यार चंद	24.11.16	12.12.16	200/-
35	श्री अभनीश	09.12.16	17.12.16	200/-

36	श्री स्वरूप	09.12.16	23.12.16	200/-
1 (2017)	श्री कुशल कुमार	23.01.17	09.02.17	200/-
2	श्री अशोक कुमार	05.02.17	14.02.17	200/-
3	श्री मनोज कुमार	18.01.17	16.02.17	200/-
4	श्री संसार सिंह	14.02.17	25.02.17	200/-
5	श्री संसार सिंह	14.02.17	04.03.17	200-100=100
6	श्री सुशील कुमार	27.02.17	04.03.17	200/-
		कम वसूली गई राशि		**₹2900.00**

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30 दिनांक 17.01.18 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 17.01.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त ₹2900 की वसूली कर ली जायेगी। अतः वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

2. भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014-15 से 2016-17 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू-राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

3. गृहकर के रूप में प्राप्त ₹8630 को निधि खाते में जमा न करना :-

जांच में पाया कि निम्नलिखित रसीदों द्वारा वर्ष 2014-15 में गृहकर के रूप में ₹8630 की वसूली की गई थी लेकिन यह राशि पंचायत के निधि खाते में जमा नहीं की गई थी जिससे इस राशि के दुरुपयोग/गबन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है :-

वर्ष/ रसीद बुक संख्या	रसीद संख्या	वसूली गई राशि
2014-15 / 8	157601 से 157678	1560/-
2014-15 / 9	157701 से 157800	2000/-
2014-15 / 4	004501 से 004600	2055/-
-	004601 से 004670	1490/-
-	004701 से 004775	1525/-
	कुल राशि	**₹8630/-**

उक्त राशि पंचायत के निधि खाते में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30 दिनांक 17.01.18 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 17.01.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

4. जांच के दौरान माह 04/14 में रसीद संख्या 004633 एवं 004671 रसीद बुक में नहीं पाई गई, जोकि आपतिजनक है एवं इसके दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त रसीदों की वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

6 अनुदान ₹24.91 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2491172 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.92 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹291999 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 सीमेंट रजिस्टर का रख रखाव न करना:

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में सीमेंट भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय सामग्री की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 अग्रिम ₹1 लाख लाख का वापिस न करना :-

वाउचर संख्या 7 दिनांक 07.06.14 की जांच में पाया कि 13वें वित्त आयोग से चैक संख्या 411184 दिनांक 07.06.14 द्वारा बैंक खाता संख्या 962612 (PNB) से ₹1 लाख की राशि आहरित करके मनरेगा के विकास कार्यों में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम के रूप में मनरेगा निधि को दी गई थी लेकिन लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी यह राशि संबन्धित खाते में वापिस

जमा नहीं की गई थी जिससे पंचायत के अन्य विकास कार्य वाधित हो रहे हैं। अतः शीघ्र इस राशि को पंचायत के संबन्धित खातों में जमा करना सुनिश्चित करें ताकि इसका प्रयोग उनके उदेश्यों के अनुरूप किया जा सके।

उक्त विषय बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30 दिनांक 17.01.18 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 17.01.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त विषय बारे छानबीन करके वस्तुस्थिति से बाद में अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

10 ₹3.58 लाख के व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

13 वें वित्त आयोग की रोकड़ वही वर्ष 2014-15 की जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न तिथियों को किये गये थे लेकिन इन भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न करवाना पचायती राज वित नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹357600 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि मे जमा करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वाउचर संख्या / दिनांक	विषय	राशि
1.	Vr. No. 1 Dated 26.04.14,	मानदेय पंचायत सदस्य	15000/-
2.	Vr. No. 2 Dated 05.05.14,	मानदेय पंचायत सदस्य	18600/-
3.	Vr. No. 3 Dated 05.05.14,	मानदेय पंचायत सदस्य	1400/-
4.	Vr. No. 4 Dated 21.05.14,	मानदेय पंचायत सदस्य	15150/-
5.	Vr. No. 5 Dated 21.05.14,	वेतन चौकीदार	6000/-
6.	Vr. No. 6 Dated 21.05.14,	कार्यालय व्यय	1460/-
7.	Vr. No. 7 Dated 07.06.14,	मनरेगा के सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम राशि	100000/-
8.	Vr. No. 8 Dated 23.06.14,	मानदेय पंचायत सदस्य	18600/-
9.	Vr. No. 9 Dated 23.06.14,	वेतन चौकीदार	3650/-
10.	Vr. No. 10 Dated 04.07.14,	मानदेय पंचायत सदस्य	18000/-
11.	Vr. No. 11 Dated 19.08.14,	कार्यालय व्यय	5000/-
12.	Vr. No. 12 Dated 22.09.14,	मानदेय पंचायत सदस्य	15500/-
13.	Vr. No. 13 Dated 24.10.14,	खेल सामग्री के क्रय हेतु	41825/-
14.	Vr. No. 14 Dated 30.10.14,	मानदेय पंचायत सदस्य	15715/-
15.	Vr. No. 15 Dated 11.11.14,	मानदेय पंचायत सदस्य	15000/-
16.	Vr. No. 16 Dated 29.01.15,	मानदेय पंचायत सदस्य	21700/-
17.	Vr. No. 17 Dated 02.02.15,	वेतन पंचायत चौकीदार	18600/-
18.	Vr. No. 18 Dated 02.02.15,	वेतन पंचायत चौकीदार	12000/-
19.	Vr. No. 19 Dated 02.02.15,	ग्रामीण जल वितरक	4400/-
20.	Vr. No. 20 Dated 05.02.15,	मानदेय पंचायत सदस्य	10000/-

कुल राशि **₹357600**

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30 दिनांक 17.01.18 द्वारा उक्त बिल प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, लेकिन कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः शीघ्र उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

11 ₹4675 का अनियमित भुगतान :-

प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 28.02.15 द्वारा श्रीमति विजना देवी पत्नी श्री संसार चंद एवं श्री राजू राम को शौचालय के निर्माण हेतु ₹12000 प्रति शौचालय की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन भुगतान दिनांक 17.04.17 को श्रीमति विजना देवी पत्नी श्री संसार चंद को ₹7325 एवं श्री राजू राम को ₹16675 का किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राजू राम को ₹4675 अनियमित रूप से अधिक भुगतान कर दी गई थी। अतः उक्त विषय की जांच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को वसूली सम्बंधित से की जाए।

12 स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने पर ₹4066 की वसूली करने बारे :-

जांच में पाया कि कार्य “C/O Sampark marg, Hospital to Yuvraj house ” के लिए पत्र संख्या 5599-5207 दिनांक 05.08.13 द्वारा ₹120000 स्वीकृत एवं प्राप्त की गई थी जबकि इस कार्य में ₹124066 खर्च कर दी गई थी अर्थात इस कार्य पर ₹4066 अधिक खर्च कर दी गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 वर्ष 2014-15 में पंचायत प्रतिनिधियों एवं चौकीदार के वेतन के भुगतान वाउचरों पर वेतन की अवधि न दर्शाना :-

वर्ष 2014-15 के व्यय वाउचरों की जांच में पाया कि पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत चौकीदार को वेतन का भुगतान 13वें वित्त आयोग एवं सामान्य रोकड़ वही से किया गया था लेकिन भुगतान के दौरान व्यय वाउचरों पर वेतन / मानदेय की अवधि नहीं दर्शाई गई थी जिससे मानदेय / वेतन के दोहरे भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वर्ष 2014-15 में पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत चौकीदार को माहवार मानदेय व वेतन के रूप में भुगतान की गई कुल राशि से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये एवं अधिक भुगतान की स्थिति में उचित स्त्रौत से वसूली करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

14 पंचायत की अधिशेष राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अधिशेष निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही

पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये ।

15 खाता वहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 से 2016-17 में खाता वहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्ररूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी । जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी । अतः खाता वहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें ।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।
7. वर्ष 2014-15 में आय-व्यय विवरणी तैयार न करना ।

17 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

18 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

19 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)53/2018 खण्ड–1–4384–4387 दिनांक 18.06.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत बलडूहक, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881